समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

श्री रामचरित्र साथी, पिता- स्व0 बलदेव प्र0 रजक, ग्राम- फुलौत, थाना- चौसा, जिला- मधेपुरा वर्त्तमान सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 431/67-68 (धनवाद) प्राप्त है, जिस पर दो नाली बन्दूक संख्या 17587 धारित है। इनके द्वारा थानाध्यक्ष, चौसा का एस0डी0इ0 नं0-371/13, दिनांक 19-10-2013 (दो नाली बन्दूक संख्या 17587 को चौसा थाना में सुरक्षित जमा कर पावती रसीद) की छायाप्रति एवं मूल अनुज्ञप्ति पुस्त संलग्न करते हुए सूचित किया गया है कि इनके द्वारा दो नाली बन्दूक संख्या 17587 को चौसा थाना के प्रभारी को दिनांक 19-10-2013 को सुपुर्द कर दिया गया है एवं उम्रदराज होने और रोगग्रस्त रहने के कारण बन्दुक की सुरक्षा करने में असमर्थ और असक्षम है, जिस कारण इन्होंने अपने दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 431/67-68 (धनवाद) को रद्द करते हुए जवावदेही से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः श्री रामचरित्र साथी द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इनके दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 431/67-68 (धनवाद) पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या 17587 को चौसा थाना के मालखाना शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत् जमा करने की धटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है। साथ ही शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (4) के तहत् श्री रामचरित्र साथी, पिता- स्व0 बलदेव प्र0 रजक, ग्राम- फुलौत, थाना- चौसा, जिला- मधेपुरा वर्त्तमान सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 431/67-68 (धनवाद) को रद्द किया जाता है।

थानाध्यक्ष, चौसा को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या 17587 (जिसे दिनांक 19-10-2013 को जमा किया गया है) को अपने थाना के मालखाना में सुरक्षित जमा रखेंगें।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक......21........./वि0, मधेपुरा, दिनांक......10-12-13.......

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/अनुमण्डल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, चौसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री रामचरित्र साथी, पिता- स्व0 बलदेव प्र0 रजक, ग्राम- फुलौत, थाना- चौसा, जिला- मधेपुरा वर्त्तमान सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

10/12/13

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा